संख्या- 9/2016/176(1)/ई-1/तेरह-2016-499(1)/2016

प्रेषक,

सुनील कुमार पाण्डेय,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उ0प्र0, इलाहाबाद।
आबकारी अनुभाग-1

लखनऊः दिनांकः 16 फरवरी, 2016

विषयः- आबकारी मुख्यालय परिसर में महिला ट्वायलेट के निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- सी 3423/एक-14/स्टोर/ लघुनिर्माण/ अनुरक्षण(18) दिनांक 23 दिसम्बर, 2015 तथा पत्र संख्या- सी 4079/एक-14/स्टोर/ लघुनिर्माण/अनुरक्षण(18) दिनांक 04 फरवरी, 2016 का संदर्भ ग्रहण करें।

2. आबकारी मुख्यालय परिसर में महिला ट्वायलेट का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग के आगणन का परीक्षण एवं मूल्यांकन वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-19/2015/बी-2-2973/दस-2015-10/77 दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 के अनुक्रम में कार्यालय आदेश संख्या- 1367 ई-1/तेरह-2015-499(6)/2014 दिनांक 04 दिसम्बर, 2015 द्वारा गठित समिति द्वारा किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त आगणन की धनराशि रू0 12.38 लाख की संस्तुति की गई (संस्तुत आगणन की प्रति संलग्न है) ।

3. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आबकारी मुख्यालय परिसर में महिला ट्वायलेट का निर्माण कराये जाने हेतु नामित कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा गठित आगणन पर समिति द्वारा संस्तुति की गई धनराशि रू0 12.38 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने तथा चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में प्रश्नगत निर्माण कार्य के मद में उपलब्ध धनराशि रू0 13.00 लाख में से रू0 12.38 लाख अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की गई धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों/शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित् किया जाय।

(2) प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की गई धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों/शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित् किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार सक्षम स्तर से आगणित निर्माण लागत की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों/विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित् किया जाय।

(4) कार्य की विशिष्टता, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा आबकारी आयुक्त यह सुनिश्चित् करेंगे कि अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग इसी चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित् किया जाय।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि, जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय।

(6) प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग समयान्तर्गत सुनिश्चित् किये जाने तथा निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति तथा अपेक्षित गुणवत्ता के पर्यवेक्षण का दायित्व आबकारी आयुक्त, वित्त नियंत्रक एवं सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी का होगा।

4. प्रस्तर-3 में प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-1 (आयोजनेत्तर) के लेखाशीर्षक-''4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर-01 कार्यालय भवन,051-निर्माण, 07- आबकारी मुख्यालय,उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में महिला ट्वायलेट एवं रेस्टरूम का निर्माण-24 वृहत निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

संलग्नक- यथोक्त।

सुनील कुमार पाण्डेय,
उप सचिव।

संख्या- 9/2016/176 (2) ई-1/तेरह-2016-499(1)/2016 दिनांक 16 फरवरी, 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, इलाहाबाद ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
5. वित्त नियंत्रक, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1,
7. कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार पाण्डेय)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in